

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) केरल का कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम-695 001 OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E) KERALA, THIRUVANANTHAPURAM-695 001



P19/IV/DRSSA/03

Dated 26.04.2023

To,

All District/Sub Treasury Officer/Banks

Sub: Grant of Dearness Relief @38% w.e.f. 01.07.2022 of such civil/family pensioners

of the State Government whose pension is revised in accordance with

 $recommendation \ of \ the \ 7^{th} \ Pay \ Commission - reg.$

Ref: 1.SSA/Letter No. P.A./Pension/Dearness Relief/Uttarakhand/2022-23/06/8896

dated _/_/2023

2.Memorandum Ni. 74729/XXVII(7)/E/22807/2022 Dehradun, dated

08.11.2022

Sir/Madam,

I am to enclose herewith the copy of SSA received from the office of the Accountant General (A&E), Uttarakhand regarding grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with recommendation of the 7th Pay Commission. The same is being placed in the official website of this office, www.cag.gov.in/ae/kerala/en, under pension – download under the link "Treasury Endorsement of Orders for other state Pensioners". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasuries.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Copy to:-

1. The Director of Treasuries Thiruvananthapuram

Office of the Accountant General (A&E)
 Uttarakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh
 Dehradun – 248195

-For information.

Sr. Accounts Officer

ई-मेल/Email: agaekerala@cag.gov.in

फेक्स/Fax: 0471-2330242

टेलिफोन/Telephone: 0471-2776100

वेबसाइट/Website : http://www.agker.cag.gov.in

P19/10/00\$50/03 कार्यालय महालेखांकार (लेखा एवं हक.)-उत्तराखंड "महालेखांकर भवन" कौलागढ़, देहरादून - 248195 फोन:0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865 पत्रांक:-पी.ए./पेशन/मंहगाईराहत/उत्तराखण्ड/2022-23 केंद्रि

DR @ 38% w.e.f.

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय	शिलोंग	793001
3.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	असम	गोवाहाटी	781029
4.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड	रांची	834002
5.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	विहार	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र	मुम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-॥	महाराष्ट्र	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक	बेंगलुरु	560001
12	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब	चंडीगढ़	160017
14.	प्रशान महालेखाकाः (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा	चंडीगढ़	160047
15.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान	जयपुर	302005
17.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-।	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	226010
18	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)॥	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	211001
19	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700001
20	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर	190009
21	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर	इम्फाल	795001
22.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा	अगरतला	799006
23	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड	कोहिमा	797001
24	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़	रायपुर	492111
25	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिज़ोरम	आइजोल	796001
26	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम	गंगटोक	737102
27	वेतन एवं लेखाधिकारी -v, पेंशन, तीस हज़ारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	नई दिल्ली	110124
28	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गोवा	पणजी	403101
29	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	
30	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागन	605001
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आन्ध्र प्रदेश		791110
32	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	विजयवाड़ा हैदराबाद	520001

कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.) -उत्तराखंड <u>"महालेखाकार भवन" कौलागढ देहरादून-248195</u>

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/ 22-23/66

दिनांक: 03 /04/ 2023

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय

विषय:- राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशन जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी हैं, को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

संलग्न सन्दर्भ:- सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (सा०नि-वे०आ०) अनुभाग-7 संख्या:-74729/XXVII(7)/E/22807/2022 देहरादून, दिनांक: 08.11.2022 |

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियाँ संलगन कर प्रेषित की जा रही हैं । आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराएँ । संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन

उत्तराखण्ड शासन वित्त (सा0नि0—वे0आ0)अनुमाग—7 संख्या—7472 प्र/ XXVII(7)/E-22807/2022 देष्ठराद्नः दिनांकः 68 नवम्बर, 2022 Government of Uttarakhand Finance (G.R-P.C.) Section-7 No74729 / XXVII(7)/E-22807/2022 Dehradun: Datedo 8 November, 2022

कार्यालय ज्ञाप

विषयः

राज्य सरकार के ऐसे सिविल/पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है, को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेशनर, जिनकी पेशन सातवें वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के कम में पुनरीक्षित की गयी है को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—37010 /XXVII(7)/E-22807/2022 दिनांक 31 मई, 2022 द्वारा स्वीकृत महनाई राहत की दरों को अतिकमित करते हुए दिनांक 01—07—2022 से 34 प्रतिशत के स्थान पर 38 प्रतिशत की दर से महनाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विमागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।
- उ. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विमाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।
- 4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-252 /दस/10(3)-61, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के मुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का मुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।
- 5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस सम्बन्ध में इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, ध्रथावत लागू रहेंगे।

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief of such civil/family pensioners of the State Government whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01-07-2022 @ 38% instead of 34 % superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 37010/XXVII(7)/E-22807/2022 Dated 31 May, 2022 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

- These orders will not be applicable to the judges
 of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand
 Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of
 local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in
 respect of whom separate orders will have to be issued by
 respective department.
- 3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.
- 4. As per orders issued in O.M. No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.
- Other terms and conditions regarding of deamess relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

Signed by Dilip Jawalkar Date: 08-11-2022 16:21:07

(दिलीप जावलकर) सचिव। (Dilip Jawalkar) Secretary. संख्या 74 728 XXVII(7)/15-22807/2022, तद्दिनांक। प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमित की आवश्यकता नहीं होगी।
- 4. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्षः उत्तराखण्ड ।
- 6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला, देहरादून।
- 8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग—7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

No LXXVII(7)/E-22807/2022, the dated.

Copy forwarded to following for information and necessary action.

- I- Secretary, to the Governor, Uttarakhand.
- 2-All Additional Chief Secretaryies/ Principal Secretaries/Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
- 3- Additional Chief Secretary/Secretary, Public Industry Development Department/Urban Development, Govt. of Uttarakhand with the request that the admisibility of dearness relief may be permitted itself in the view of financial status of the bodies/undertaking and there is no need of finance Department Consent.
- 4- All Commissioner/District Magistrate, Uttarakhand.
- 5- All Heads of Departments /Offices, Uttarakhand.
- 6- Accountant General Uttrakhand, Mahalekhakar Bhawan, Kaulagarh, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.
- 7- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Utatrakhand.
- 8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand.
- 9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand
- 10- Deputy Director. Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-7, Govt. of Uttarakhand Please.

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद) अपर सचिव। By Order,

(Ganga Prasad)
Additional Secretary.